:: आदेश ::

राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–3/2017–वे0आ0–1–465/दस–2017–8(एम)/2016 दिनांक 13 जुलाई 2017 द्वारा ऐसे पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों को जिनके सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित हुये है, को दिनांक 01 जनवरी 2017 से बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः प्रतिनियुक्ति पर बैंक में कार्यरत पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों को जिनके सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्यरत हैं, को शासनादेश संख्या–3/2017–वे0आ0–1–465/दस–2017–8(एम)/2016 दिनांक 13 जुलाई 2017 के कम में दिनांक 01.01.2017 से उनके मूल वेतन का 04 प्रतिशत की दर से संशोधित करते हुये महंगाई भत्ते की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु निगत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा। परंतु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य वेतन भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जाएगा।

2– इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई है।

3– इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या : सी-35 /स्थापना/मं0भत्ता/2017–18 दिनांक : 26-7-17

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महा प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
2– प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3– समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।

26.07.17
(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)